Norms for identification of backward areas

2517. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister for PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) what are the norms set for identification of backward areas in the country;

(b) the districts covered under backward areas in Madhya Pradesh;

(c) what is the percentage of total area and population covereed under these backward districts; and

(d) the steps taken to bring overall development in these backward districts?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) and (b) The responsibility for the development of a particular area within a State rests primarily with the state Government concerned. The Government of Madhya Pradesh had constituted an offical Committee in 1990 to identify backward areas in the State. The Committee evaluated the districts according to seventeen indicators grouped under five heads, namely, population, agricultural development, industrial development, infrastructural facilities and social development. The Committee identified 33 out of 45 districts of the State as backward.

(c) As per the 1991 census, the area and population of these 33 districts were 77.72 per cent and 68.25 per cent respectively.

(d) The Central Government helps State Government through the mechanism of transfer of resources under modified formula previously known as 'Gadgil Formula' under Special Area Programmes and devolution of non-Plan resources by the Finance Commission.

Schemes drawn up by the State for development of these districts include incentives like capital investment subsidy, deferment/exemption of sales tax, subsidy for purchase of generating sets etc.

Through successive Five Year Plans and Annual Plans, the State Government has been making efforts to remove regional imbalances within the state. The State Government has also been making an endeavour for economic and human resource development in backward districts of the State through other sectoral programmes, like Tribal Development, public health and family welfare, education, and social welfare etc.

परियोजना को समय पर पूरा किया जाना

2518. श्री राम जेठमलानी :
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कई परियोजनाएं अपनी आरंभिक समय-सारणी से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि इन परियोजनाओं के निर्माण में हुए विलम्ब से इनकी निर्माण लागत 63 प्रतिशत बढ़ गयी है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने भविष्य में परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने लिए विशेष उपाय करने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरीधर गोमांगो) : (क) जी, हां ।

(ख) आरंभिक समय-सारणी पीछे चल रही परियोजनाओं की कुल संख्या 194 है ।

(ग) और (घ) अपनी मूल समय-सारणी के संबंध में इन परियोजनाओं से संबंधित लागत वृद्धि 101.2% है ।

लागत वृद्धि के कारणों में शामिल है : सांविधिक शुल्कों, जैसे उत्पाद, कस्टम,बिक्री कर इत्यादी में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा की दरों में विभिन्नता, पर्यावरणीय सुरक्षा तथा पुनर्वास उपायों की उच्च लागत,भू-स्वामियों द्वारा अधिक मुआवजे की मांग के कारण भूमि अधिग्रहण की उच्च लागत, परियोजनाओं के क्षेत्र में परिवर्तन, कुछ अशान्त क्षेत्रों में बोली दाताओं द्वारा लगाए गए उच्च मूल्य, मूल लागत अनुमान का कम आकलन, सामान्य मूल्य वृद्धि तथा कार्यान्वयन में विलंब ।

इन परियोजनाओं में विलंब मुख्यत: भूमि अधिग्रहण की समस्याओं, कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं, संसाधनों के करार में विलंब, देशी एवं विदेशी विक्रेताओं द्वारा उपकरणों की आपूर्ति में विलंब तथा प्रमुख ठेकेदारों द्वारा खराब प्रगति के कारण हुआ है ।

(ङ) इनके शीघ्र एवं प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

परियोजनाओं को कार्यान्वयन के दौरान विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । सरकार द्वारा उठाए